

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 286/स्था./2026

दिनांक : 13.8.26

:: आदेश ::

अध्यक्ष, पदोन्नति समिति, द्वारा निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर कार्यरत कर्मचारीगण को आशुलिपिक ग्रेड-II के रिक्त पदों पर पदोन्नति दिये जाने हेतु अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 समय समय पर यथा संशोधित नियम के तहत आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर (ad-hoc) छः माह की अवधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन श्रृंखला 9300-34800 ग्रेड-पे 4200 लेवल एल-11 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नानुसार पदोन्नत एवं पदस्थापन किया जाता है :-

क्र.स.	कार्मिक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन न्यायालय
1	मोहित कुमार (एस.सी.)	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
2	रविन्द्र सिंह	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर
3	अमित कुमार मीणा (एस.टी.)	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर
4	अरविन्द रंगा	अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, भीलवाड़ा
5	पवन कुमार कस्वां	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा
6	हिमांशु उपाध्याय	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर
7	पृथ्वी कुमावत	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा
8	धर्मेश व्यास	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल
9	लेखा मोदी	किशोर न्याय बोर्ड, पालडी, भीलवाड़ा
10	रामकरण चौधरी	अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, भीलवाड़ा
11	पवन जादम	वाणिज्यिक न्यायालय, भीलवाड़ा (आगामी आदेश तक आशुलिपिक ग्रेड-I के पद के विरुद्ध)
12	मोहम्मद अरशद नईम	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़

नोट :-

- उक्त कर्मचारी वर्तमान में जिस न्यायालय/कार्यालय में कार्यरत है उसी न्यायालय/कार्यालय में कार्यरत रहेंगे एवं नवीन पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना इस कार्यालय एवं संबंधित पदस्थापन न्यायालय को प्रेषित करायेंगे।
- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावे एवं नियमानुसार इनके वेतन नियतन की कार्यवाही की जावे।
- उपरोक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई तौर पर की जा रही है, कर्मचारियों का कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा पदों में किसी प्रकार की कमी होने अथवा किसी पूर्व कर्मचारी की पुनः नियुक्ति होने पर, कर्मचारी के किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाने पर इन्हें बिना किसी नोटिस के इनके पूर्व पद पर पदावनत किया जा सकेगा।
- उक्त कर्मचारीगण को नियमित पदोन्नत किये जाने से पूर्व गति परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- यदि उपरोक्त कर्मचारीगण इस पदोन्नति से पूर्व पहले से ही स्वीकृत किये गये नवीन पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका पातेय वेतन कम नहीं किया जावेगा।

Handwritten: 13/8/26
-जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा
दिनांक : 13/8/26

क्रमांक : स्था/2026/.....

454/10404560

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
- अध्यक्ष, पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची निर्धारण समिति
- लेखानुभाग जिला न्यायालय भीलवाड़ा/संबंधित न्यायालय लेखानुभाग
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

Handwritten: 13/8/26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा